राष्ट्र के सेवा में 252 वर्षों से अधिक
252 YEARS IN THE SERVICE TO THE NATION

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

दूरभाष/Telephone : 0612-2565756
फैक्स/Fax : 0612-2565265
ईमेल/Email: bihar.gdc.soi@gov.in

निदेशक का कार्यालय
बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
Office of the Director,
Bihar Geo-spatial Data Centre
सातवीं मंजिल ;ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी')
कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर
7th Floor (Block 'A', 'F' and 'G'), Karpuri Thakur Sadan,
Kendriya Karyalaya Parisar
आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025
Ashiyana-Digha Road, Patna-800025

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं.- 05/37-जी-6, दिनांक 13 /09/2021

1. **अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नतिः-**

भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-I को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार अधिकारी सर्वेक्षक [ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)] के पद पर **पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में** नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्रम सं.	नाम	जिस पद पर पहले कार्यरत थे	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तारीख	टिप्पणी
1.	Shri Baleshwar Ram	सर्वेक्षण सहायक	अधिकारी सर्वेक्षक	29.07.2021 (अपराह्न)	

प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-3729/707(Coll.76), दिनांक 29 जुलाई, 2021

(i) उपरोक्त अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

(ii) उपरोक्त अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति के आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

(iii) उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

(iv) उपरोक्त अधिकारी के जाति के प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन किया जाएगा एवं यदि यह पाया गया कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं, तो उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

2. **एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध मेः-**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.जी.-35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के **सर्वेक्षकों** के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत **वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7** में **प्रथम वित्तीय उन्नयन** स्वीकृत किया जाता हैः-

कृ.पृ.प.

क्रम सं.	नाम	पदनाम	प्रथम एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	Shri Shashi Kumar	Surveyor	01.01.2021
2.	Shri Jaishankar Prasad	Surveyor	01.04.2021

प्राधिकारः- **भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-4041/1902-MACP-I(Surveyor)(Coll.IV), दिनांक 11.08.2021**

(i) एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ. आर. 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

(ii) उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

(iii) उपरोक्त अधिकारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

(iv) एम.ए.सी.पी योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लाभ स्वीकार किए जाते समय, बाद में रिक्ति हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अनर्ह स्वीकृति दे दी गयी मानी जाएगी।

3. पदोन्नति पर स्थानान्तरणः-

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-। को अधिकारी सर्वेक्षक [ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)] के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती किया गया है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तिथि (कार्यग्रहण की तिथि)	टिप्पणी
1.	Shri Ajit Malakar, Surveyor	असम एवं नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी	बिहार जी.डी.सी., पटना	अधिकारी सर्वेक्षक	27.08.2021 (पूर्वाह्न)	-

प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-3729/707(Coll.76), दिनांक 29 जुलाई, 2021

(i) उपरोक्त अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

(ii) उपरोक्त अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति के आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

(iii) उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

(iv) उपरोक्त अधिकारी के जाति के प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन किया जाएगा एवं यदि यह पाया गया कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं, तो उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

कृ.पृ.प.

4. **रोकड़िया को नकदी संभालने का भत्ता (CASH HANDLING ALLOWANCE TO CASHIER)**

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/3/78-एस.एम.पी.-1, दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2008-स्थापना(वेतन-II) दिनांक 01.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं.4/6/2017-Estt.(Pay-II), दिनांक 18.01.2019 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार रोकड़िया का कार्य करने के लिए नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता हैः-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	भत्ते की राशि	भुगतान की गई औसत राशि
1.	श्री मो. शब्बर अली तैयब, प्र.श्रे.लि.	01.04.2021 से 31.03.2022 तक	रू. 700/-प्रति माह	रु.64340/-

उपरोक्त के लिए अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पटना के वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

5. **स्थानान्तरण पर गये**

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-I का पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया हैः-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री पंकज कुमार ठाकुर, सर्वेक्षक	बिहार जी.डी.सी., पटना	राष्ट्रीय भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, देहरादून	09.08.2021 (अपराह्न)

प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-3729/707/Coll.76, दिनांक 29.07.2021

6. **करूणामूलक आधार पर ट्रेनी के पद पर नियुक्तिः-**

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर वेतनमान लेवल-1 ट्रेनी के पद पर करूणामूलक आधार पर नियुक्त किया जाता हैः-

क्रम सं.	नाम	जाति	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	पद जिसपर नियुक्ति हुई है।	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री तेजन साव	अन्य पिछड़ा वर्ग	15.08.1989	आठवीं पास	ट्रेनी	23.08.2021

प्रधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का विभागीय आदेश सं. स्था.3-110/1869-ए/पालिसी, दिनांक 22.04.2021

(i) उपरोक्त कर्मचारी का चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन जिलाधिकारी, हजारीबाग, झारखंड को भेजा जा चुका है और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) इनकी चिकित्सकीय जाँच Civil Assistant Surgeon, Sadar Hospital, Hazaribag द्वारा की गई है तथा जाँच रिपोर्ट में उपयुक्त पाये गये हैं।

(iii) इनका वेतन का निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय के पत्र सं.स्था.3-10/1904-पीसी, दिनांक 17/29 जनवरी, 2021 के निर्देशानुसार किया जाएगा।

कृ.पृ.प.

7. सेवानिवृत्तिः-

इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवा-निवृत्त हुएः-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	Shri Sital Prasad Roy, Survey Assistant	31.07.2021
2.	Shri Sunil Kumar Jha, Store Assistant	31.08.2021

(हस्ताक्षर)
(आशीष कौशल)
निदेशक
बिहार जी.डी.सी., पटना

वितरणः

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।

(1–3) ------- ई-मेल के द्वारा

4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग(बि.भू.आँ.के.)/लेखा अनुभाग (बि.भू.आँ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुभाग प्रभारी, गोपनीय अनुभाग(बि.भू.आँ.के.) को मद सं. 1.(iv) एवं 3.(iv) के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाईल